

14.03.2026

**प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 14.03.2026 की खण्डपीठ
क्रमांक 21 में मेरे समक्ष पेश हुआ।**

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

अभियुक्त द्वारा/सहित श्री महेश सराठे अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण राजीनामा आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि विगत दिनांक को फरियादी/आहत की ओर से अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन एवं एक अन्य आवेदन अंतर्गत धारा 320(2) द.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया था एवं बिना किसी डर दबाव अथवा लालच के शांति के उद्देश्य से राजीनामा करना व्यक्त किया था।

राजीनामा आवेदन के आधार पर प्रकरण के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि अभियुक्त पर धारा 294, 323, 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध का आरोप है। अभियुक्त पर आरोपित धारायें शमनीय प्रकृति की हैं। फरियादी/आहत उक्त अपराध शमन करने हेतु स्वतंत्र है। राजीनामा आवेदन के आलोक में फरियादी को राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि अभियोजित नहीं है। अतः पेश आवेदन को स्वीकार करते हुए **अभियुक्त बलराम पिता कीरत सिंह गूर्जर उम्र 40 साल निवासी ग्राम गुरमखेडी थाना सोहागपुर जिला नर्मदापुरम म0प्र0 को धारा 294, 323, 506 भा0दं0सं0 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त** किया जाकर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्त की निरोध अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र पृथक से तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

अभियुक्त द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जमानत/मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा बांस का डण्डा मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी एवं सी.आई.एस में दर्ज कर विधिवत अभिलेखागार भेजा जाये।

(श्रीमती मनमीत धुर्वे)
सदस्य, खण्डपीठ
तहसील सोहागपुर
जिला नर्मदापुरम

(श्री तेजदीप सिंह सासन)
पीठासीन अधिकारी
नेशनल लोक अदालत
सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम